

Ph. Upload
h

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ 10(क)(ग्राम पंचायत)(न.पा.गठन)()श्रेणी/डीएलबी/18/2276 दिनांक. 14/9/18

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत थानागाजी, ग्राम पंचायत हरनेर, लाहा का बास, नाथूसर, बिहारीसर, भांगडोली, अमरा का बास के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्वारा नगरपालिका थानागाजी (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित किया जाता है तथा ऐसी घोषणा किये जाने की तारीख से सरपंच थानागाजी को अध्यक्ष एवं निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को सदस्य नगरपालिका, थानागाजी के रूप में घोषित किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ 10(क)(ग्राम पंचायत)(न.पा. गठन)()श्रेणी/डीएलबी/18/2277-2278 दिनांक. 14/9/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
8. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर, अलवर।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज0 जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, थानागाजी एवं ग्राम पंचायत हरनेर, नाथूसर, भांगडोली, लाहाका बास, बिहारीसर, अमरा का बास जिला अलवर।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी